प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी—वित्त एवं राजस्व
हरिद्वार।

सेवा में,

Shri. Rahul Verma
Advocate (L.L.M.)
Supreme Court Of India
Additional Advocate General
State Of Uttarakhand/Respondent
137, Tower No. 10,
Supreme Enclave, Mayur Vihar Phase-1,
Delhi-110091
Mobile No. 9717706032

पत्रांकः 133 /एल0बी0ए0—2024 दिनांकः 19 जनवरी, 2024

विषय— मा0 एन0जी0टी0 में योजित Original Application No.-683/2023 Ganga Heritage Titled "Residential Plots in Haridwar, Few Steps From Ganga River"के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक Consultant (Judicial) National Green Tribunal, New Delhi द्वारा ई—मेल से प्रेषित पत्र दिनांक 04.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उल्लिखित हैं कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित Original Application No.-683/2023 Ganga Heritage Titled "Residential Plots in Haridwar, Few Steps From Ganga River" के संबंध में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के अनुपालन के संबंध में हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 में दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन एवं वांछित रिपोर्ट समयान्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करने के निर्देश दिये गये है, जिस हेतु उप जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में निम्नवत् जांच समिति का गठन किया गया। यथाः—

1—	उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।	—	अध्यक्ष
2—	सचिव, हरिद्वार—रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।	—	सदस्य
3—	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, हरिद्वार।	—	सदस्य
4—	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी।	—	सदस्य

विषयांकित प्रकरण में गठित संयुक्त जांच समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 18.01.2024 को ग्राम श्यामपुर नौआबाद, तहसील हरिद्वार के खसरा संख्या—13 व 14 का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। जो संलग्न हैं।

अतः संयुक्त जांच समिति की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 18.01.2024 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय,

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी—वि0/रा0
हरिद्वार।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— रजिस्ट्रार जनरल, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2— सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
3— जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी—वि0/रा0
हरिद्वार।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।।

संख्याः 873 /वरि0वै0सहा0–अवैध खनन/2023–24 हरिद्वारः दिनांकः 18 जनवरी, 2024

विषयः मा0 एन0जी0टी0 में योजित **Original Application No.- 683/2023 Ganga Heritage "Residential Plots in Haridwar, Few Steps From Ganga River"** के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय आदेश संख्याः 65/एल0बी0एम0–2024, दिनांक 08 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसमें ग्राम श्यामपुर नौआबाद तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा संख्या 13 व 14 में विकासित किये जा रहे प्लाटिंग की जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं।

प्रकरण के सम्बन्ध में जांच समिति के द्वारा दिनांक 18.01.2024 को ग्राम श्यामपुर नौआबाद, तहसील हरिद्वार के खसरा सं0–13 व 14 का संयुक्त स्थलय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत स्थल अधिसूचना सं0–381/11–2017, दिनांक 28.02.2013 के अनुसार प्रतिषिद्ध (Prohibited) क्षेत्र के अन्तर्गत आ रही है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खसरा संख्याओं में की गयी आवासीय प्लाटिंग हेतु कार्यालय से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा प्रश्नगत स्थल के ध्वस्तीकरण आदेश पत्र संख्या– 4623(II)/UCMS/HRDA/L/0049/2023, दिनांक 20.12.2023 द्वारा पारित किये गये थे। इस सम्बन्ध में स्थल पर भू–विकासकर्ता को उक्त ध्वस्तीकरण आदेश का अनुपालन त्वरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तद्नुपालन में भू–विकासकर्ता द्वारा स्वयं स्थल पर की गयी प्लाटिंग आदि के कार्य को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु स्थल के फोटोग्राफ्स संलग्न है।

अतः संयुक्त जांच आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः उक्तानुसार।

भवदीय,

(अजयवीर सिंह)
उप जिलाधिकारी,
हरिद्वार

संयुक्त जांच आख्या

जिलाधिकारी महोदय

जिलाधिकारी महोदय के आदेश पत्र संख्या 65/एल0बी0ए0–2024 दिनांक 08.01.2024 में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या 683/2023 Ganga Heritage titled ''Residential plots in haridwar, few steps from Ganga River'' के संबंध में उपजिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में सचिव, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार, अधिशासी अभियन्ता, सिचांई विभाग, हरिद्वार एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की के मध्य जांच समिति का गठन करते हुए मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार वांछित रिपोर्ट समयान्तर्गत दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के अनुपालन में जांच समिति द्वारा दिनांक 18.01.2024 को ग्राम श्यामपुर नौआबाद, तहसील हरिद्वार के खसरा सं0–13 व 14 का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण दौरान पाया गया प्रश्नगत स्थल अधिसूचना सं0 381/11–2017 दिनांक 28.02.2013 के अनुसार प्रतिषिद्व (Prohibited) क्षेत्र के अन्तर्गत आ रही है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खसरा संख्याओं में की गयी आवासीय प्लाटिंग हेतु कार्यालय से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा प्रश्नगत स्थल के ध्वस्तीकरण आदेश पत्र संख्या 4623(I I)/UCMS/HRDA/L/0049/2023 दिनांक 20.12.2023 द्वारा पारित किये गये थे। इस संबंध में स्थल पर भू–विकासकर्ता को उक्त ध्वस्तीकरण आदेश का अनुपालन त्वरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तदानुपालन में भू–विकासकर्ता द्वारा स्वयं स्थल पर की गयी प्लाटिंग आदि के कार्य को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु स्थल के फोटोग्रफस संलग्न है।

अतः समिति की संयुक्त जांच आख्या अग्रिम आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अधिशासी अभियन्ता **ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार**	**सहायक अभियन्ता** **सिचांई विभाग, हरिद्वार**	**क्षेत्रीय अधिकारी** **उ0ख0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

सचिव 19.01.24 **ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार**	**उप जिलाधिकारी,** **हरिद्वार।**

BULL

BULL

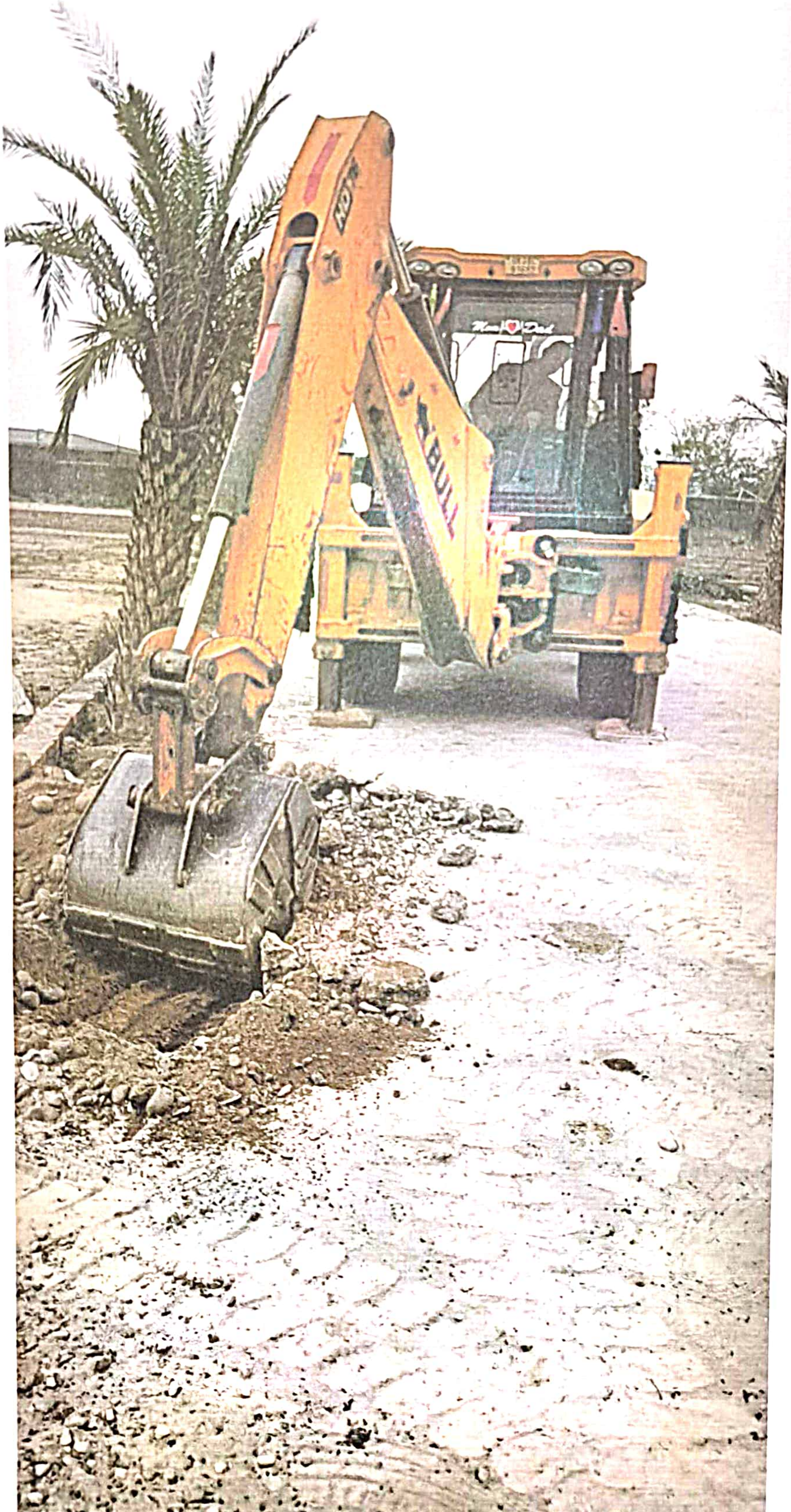

HD 76

HD76
BULL

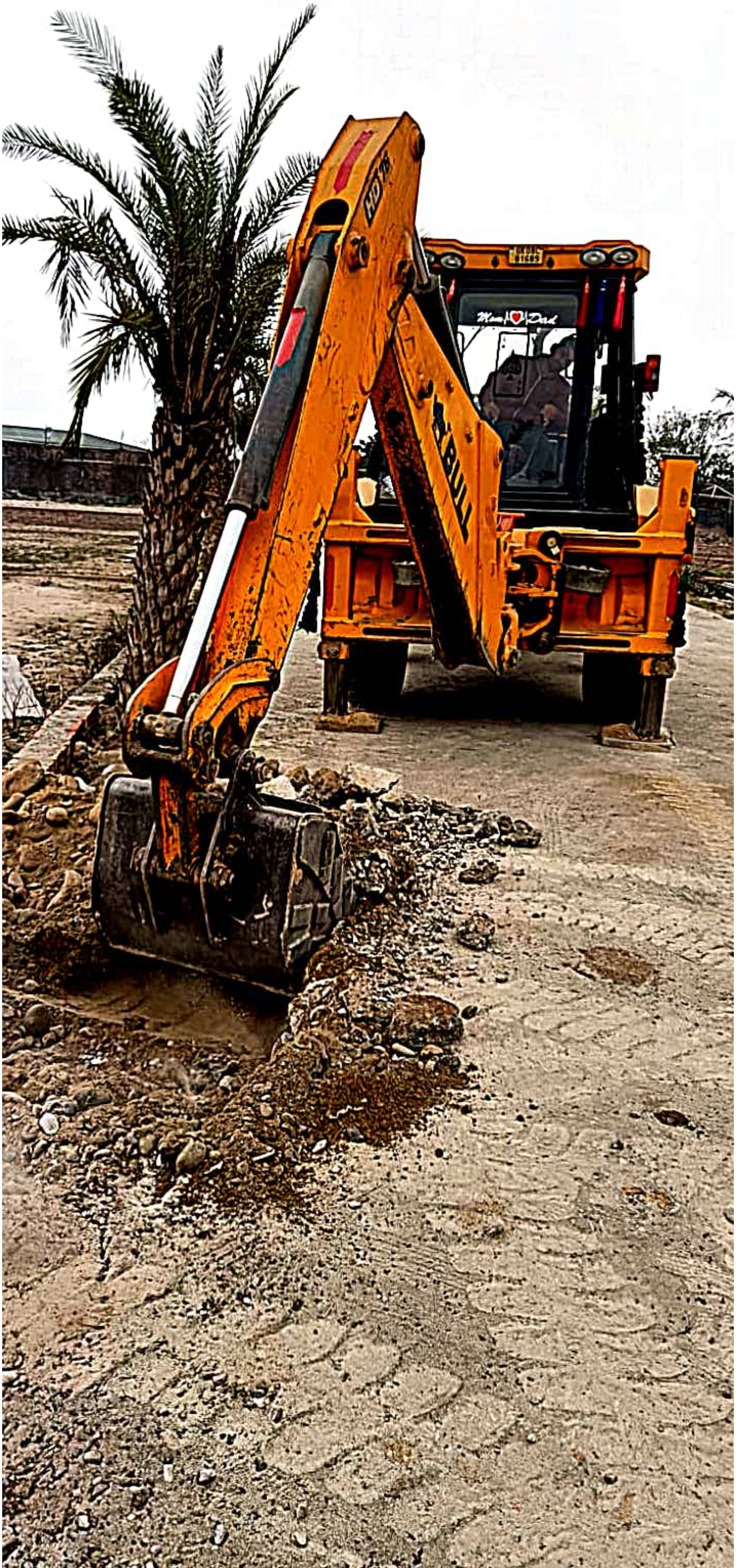
HD76
BULL
Mom Dad

BULL